भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1345

19 दिसम्बर, 2022 को उत्तर के लिए

सरकारी योजनाओं के लिए सार्वजनिक-निजी सामुदायिक भागीदारी

1345 श्री आर. गिरिराजन:

श्री एस. कल्याणसुन्दरम:

श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पार्कों की जिम्मेदारी लेने, जल निकायों का जीर्णोद्धार करने, पार्किंग स्थलों को पार्कों में परिवर्तित करने, शून्य अपशिष्ट वार्डों, प्रौद्योगिकी नवाचारों और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बढ़ाने जैसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए सार्वजनिक-निजी सामुदायिक भागीदारी (पीपीसीपी) के माध्यम को उपयोग में लाया जा सकता है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क): जी, हाँ।

(ख): अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) मिशन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इसकी वकालत करता है कि वे सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) का उपयोग करने की संभावना को खोजने का प्रयास करें और मजबूत नागरिक प्रतिक्रिया के साथ उपयुक्त सेवा स्तर करारों को शामिल करें जिससे कि जन सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपीपी) मॉडल अस्तित्व

मे आ सके। मिशन के तहत बनाए गए पार्कों, खेल के मैदानों और मनोरंजन क्षेत्रों के अनुरक्षण के लिए, मिशन रेज़िडेंट वेल्फेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की भागीदारी की वकालत करता है।

अमृत मिशन के तहत प्रौद्योगिकी उप-मिशन प्रमाणित और संभावित वैश्विक प्रौद्योगिकियों की पहचान करने के लिए उद्यमवृत्ति/स्टार्ट-अप की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। मिशन अमृत सरोवर के तहत, शहरों को जल सुरक्षित बनाने के लिए जागरूकता पैदा करने और पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण हेतु युवाओं और समुदायों को शामिल किया गया है। अभी तक 184 संस्थानों के 423 विद्यार्थियों ने 234 जलाशयों पर काम करना शुरू कर दिया है।मिशन की प्रगति के बारे में निष्पक्ष फीडबैक के लिए मिशन महिलाओं और युवाओं को सहयोजित करने की सिफारिश करता है, जहां महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण और जल अवसंरचना संचालन में शामिल किया जाना है। मिशन परियोजनाओं और उनके आउटपुट के सर्वेक्षण के लिए छात्रों को शामिल करके गिग अर्थव्यवस्था के माध्यम से परिणामों के साक्ष्य-आधारित मूल्यांकन की परिकल्पना करता है।

स्मार्ट सिटीज मिशन एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 100 स्मार्ट शहरों में शुरू की जाने वाली पीपीपी परियोजनाओं को बढ़ावा देती है। कुल 2,05,018 करोड़ लागत वाली परियोजनाओं में से संकल्पना में 21% परियोजनाओं को पीपीपी के साथ विकसित करना प्रस्तावित किया गया था। इस संबंध में उल्लेखनीय सफलता मिली है, लगभग 18,657 करोड़ रुपये की लागत वाली 240 पीपीपी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं/चल रही हैं। इनमें किफायती आवास, सार्वजनिक बाइक शेयरिंग सिस्टम, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं। मंत्रालय नवीन वित्तपोषण और भागीदारी जैसे कि पीपीपी मोड के साथ अधिक से अधिक शहरी अवसंरचना को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से शहरों की सहायता कर रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 के तहत, स्टार्टअप्स द्वारा स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में स्थानीय रूप से नवोन्मेषित, लागत प्रभावी प्रौद्योगिकी समाधान और व्यावसायिक मॉडल अपनाने को प्रोत्साहित करने के प्रावधान किए गए हैं। एसबीएम के तहत कचरा प्रबंधन का सृजन एक जन केंद्रित गतिविधि रही है। अपशिष्ट मुक्त वार्ड बनाने के उद्देश्य से स्रोत पृथक्करण और अपशिष्ट प्रसंस्करण आदि के विभिन्न कार्यकलापों में आवासीय कल्याण संघों (आरडब्ल्यूए), स्वयं सेवी समूहों (एसएचजी), गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि की भागीदारी के मामले बड़ी संख्या में सामने आए हैं।

केंद्र सरकार के मिशन/योजनाएं/कार्यक्रम प्रयासों में सफल होने और आवंटित धन के बेहतर उपयोग के लिए जन भागीदारी और सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं। विभिन्न राज्य सरकारें भी सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं।

******